न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 127/2017

1 बनवारी आयु 57 वर्ष पुत्र मुखा।
2 नरेश आयु 31 वर्ष पुत्र सीताराम समस्त जाति स्वामी निवासीगण माई के मन्दिर के पास गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरिराम पुत्र महावीर प्रसाद।
2 दुर्गा देवी पत्नी महावीर प्रसाद।
3 जगदीश पुत्र महावीर प्रसाद।
4 शंकर पुत्र महावीर प्रसाद।
5 रोहिताश पुत्र महावीर प्रसाद।
6 मुकेश पुत्र महावीर प्रसाद।
7 हरपोती पुत्री महावीर प्रसाद।
8 संजू पुत्री महावीर प्रसाद।
9 मंजू पुत्री महावीर प्रसाद।
10 सांवता पुत्र झण्डुदास।
11 हणमान पुत्र झण्डुदास।
12 मंगला पुत्र सुरेश उर्फ झुण्डुदास।
13 सुरेश पुत्र श्यामा।
14 मक्खन पुत्र श्यामा।
15 शांति बेवा पत्नी सुरेश उर्फ श्यामा।
16 सुनिता पत्नी सुनिल समस्त जाति स्वामी निवासीगण माई के मन्दिर के पास गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
17 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी
हरिराम बनाम दुर्गा देवी आदि दावा बाबत बंटवारा
मुकदमा नम्बर 225/2016

उपस्थिति :

1. श्री झाबर सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अजय स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रवि चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 225/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट की ओर से ग्राम गुढ़ा गौडजी तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 0.4400 हैक्टेयर बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय मे पत्रावली जवाब दावा व तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तलबी पूर्ण किये बिना, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना पत्रावली सीधे ही कैम्प कोर्ट में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना नही कर विधिक त्रुटि की है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में अपने दावा में सहखातेदारान को पक्षकार बनाया गया था केवल दावा बंटवारा विभाजन का था न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में सभी पक्षकारान उपस्थित आये थे। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व कैम्पों का संचालन प्रार्थी को शीघ्र न्याय हेतु संचालन किये जाते है केवल दावा विभाजन का था इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा कैम्प कोर्ट गुढ़ा गौड़जी में पत्रावली पेश होने पर न्यायालय द्वारा केवल प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी अगर अपीलांट को कही आपत्ति होती तो प्रारम्भिक डिक्री पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करवा सकते थे अपील करने की आवश्यकता नही थी। इस आधार पर अपील खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की आदेशिका दिनांक 20.06.2017 को देखने से ज्ञात होता है कि सभी पक्षकारान कैम्प में मौजूद थे सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी उक्त निर्णय बाबत सहमती दी थी जिस आधार पर न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट गुढ़ा गौड़जी में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी तथा न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में तहसीलदार उदयपुरवाटी को यह भी आदेश दिया था कि सभी पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे किन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा आज तक विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया गया है तथा ना ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। महज प्रकरण में देरी करने के लिए उक्त अपील पेश की गई है। जो खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय मे पत्रावली जवाब दावा व तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तलबी पूर्ण किये बिना, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना पत्रावली सीधे ही कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना नही कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर